(2022) 17 एस.सी.आर. 282

गजुभा जड़ेजा जेसर

वि.

भारत संघ व अन्य

(2020 की सिविल अपील संख्या 3116)

10 अगस्त, 2022

[हेमंत गुप्ता और विक्रम नाथ, न्यायमूर्तिगण]

राष्ट्रीय हरित अधिकरण, 2010- धारा 21- अधिकरण का क्षेत्राधिकार- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावक, जिन्होंने स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड क्वाईल स्थापित करने की सहमति के लिए आवेदन किया था, को अनुमति दी गई- यह आक्षेप लगाया गया था कि परियोजना प्रस्तावक ने पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 और पूर्व पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता का उल्लंघन करते हुए इकाई की स्थापना की थी- अधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया- विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ई.ए.सी.) की सिफारिश के आधार पर अधिकरण ने इस उद्देश्य के लिए काम करने के लिए कम से कम एक वर्ष की अवधि दी- आवेदक ने अधिकरण द्वारा दिए गए समय को इस आधार पर चुनौती दी थी कि अधिकरण को पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने के लिए समय देने का क्षेत्राधिकार नहीं है- पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता के अधिकरण के निष्कर्ष से व्यथित होकर परियोजना प्रस्तावक ने चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलों के लंबित रहने के दौरान, परियोजना प्रस्तावक को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समापन नोटिस दिया गया था- **अभिनिर्धारित:** अधिकरण द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं- अधिकरण का आदेश ई.ए.सी. की सिफारिश पर आधारित है जिसमें सुझाव दिया गया है कि उद्योग को ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 का पालन करने के लिए एक साल का समय दिया जाना चाहिए- हस्तगत मामले में, ई.आई.ए. अधिसूचना में दिनांक 20.07.2022 को हुए संशोधन को देखते हुए, इकाई के पास अधिसूचना में उल्लिखित समयसीमा की शर्तों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति लेने का समय है- इसलिए इकाई को बंद करने का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

न्यायालय नें अपीलों का निस्तारण करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. अधिकरण द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अधिकरण का आदेश ई.ए.सी. की सिफारिश पर आधारित है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि उद्योग को 19.09.2006 की ई.आई.ए. अधिसूचना का अनुपालन करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाना चाहिए। मंत्रालय के साथ-साथ परियोजना प्रस्तावक का यह रूख है कि ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 में अस्पष्टता थी। सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. व्यवस्था के आधार पर देश में 1689 इकाइयां अस्तित्व में आईं। यह

एक या दो इकाइयों के संबंध में अस्पष्ट व्याख्या का मामला नहीं है बल्कि पूरे देश में एक ही व्याख्या थी कि री-रोलिंग स्टील संयत्र को पूर्व पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है, अधिसूचना में संशोधन होने पर 20.07.2022 को ही अस्पष्टता दूर हो गई। चूंकि पहले अस्पष्टता थी, अधिकरण ने परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता का पालन करने के लिए समय दिया था। अधिकरण का निर्देश वास्तव में, एन.जी.टी. अधिनियम की धारा 21 के तहत अधिकरण को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत उत्पन्न होता है। (पैरा 18 और 19) (291-ई-जी; 292 ए)

2. देश की 1689 इकाइयों में से आवेदक ने परियोजना प्रस्तावक को चुना है क्योंकि यह परियोजना प्रस्तावक को लक्षित करने के लिए एक प्रेरित याचिका प्रतीत होती है, हालांकि देश में कोल्ड स्टील रोलिंग मिलें उसी व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहीं थी। निर्यातोन्मुख इकाई के बंद होने से न केवल परियोजना प्रस्तावक बल्कि 15 देशों को भी भारी नुकसान हुआ है। यह देखा जा सकता है कि गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 25.06.2021 को समापन सूचना देने के लिए परियोजना प्रस्तावक को चुना है तब से यह इकाई बंद पड़ी है। ई.आई.ए. अधिसूचना में दिनांक 20.07.2022 के संशोधन को देखते हुए, इकाई के पास अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा की शर्तों के तहत पर्यावरण अनुमति लेने का समय है। इसलिए इकाई को बंद करने के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता। (पैरा24)(296-डी-एफ)

बृहत्तर मुंबई नगर निगम बनाम अंकिता सिन्हा और अन्य, 2021 ए.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 897; पाहवा प्लास्टिक प्रा. लिमिटेड और अन्य वि. दस्तक एन.जी.ओ. और अन्य 2022 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी. 362- आधारित किया गया।

कॉमन कॉज़ वि. भारत संघ व अन्य (2017) 9 एस.सी.सी. 499; (2017) 13 एस.सी.आर. 361; हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम भारत संघ (2019) 15 एस.सी.सी. 401: (2019) 5 एस.सी.आर. 916; एलेम्बिक फार्मास्यूटिकलस लिमिटड वि. रोहित प्रजापति व अन्य (2020) 17 एस.सी.सी. 157- संदर्भित।

<u>संदर्भित न्याय-दृष्टांत</u>

[2017] 13 एस.सी.आर. 361	**संदर्भित**	**पैरा-21**
[2019] 5 एस.सी.आर. 916	**संदर्भित**	**पैरा-22**
[2020] 17 एस.सी.आर. 157	**संदर्भित**	**पैरा-23**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2020 की सिविल अपील संख्या 3116

2019 (डब्लू.जेड.) के मूल आवेदन संख्या 55 में पुणे में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पश्चिमी क्षेत्र बेंच के निर्णय और आदेश दिनांक 12.02.2020 से।

साथ में

2020 की सिविल अपील संख्या 3576।

कुमारी माधुरी दीवान, कु. एश्वर्या भाटी, ए.एस.जी., श्याम दीवान, कविन गुलाटी, सुश्री अनिता शेनॉय, वरिष्ठ अधिवक्ता, किशोर कुणाल, मनीष रस्तोगी, सुश्री अंकिता प्रकाश, कु. कनक ग्रोवर, उदय आदित्य बनर्जी, कु. सृष्टि अग्निहोत्री, कु. संजना ग्रेस थॉमस, सुश्री आरती कृपा कुमार, कु. सीमा गंगानी, कु. आकांक्षा कौल, आयुष पुरी, अमन साहनी, एम. सिंह, गुरूमीत सिंह मक्कड़, कु. आस्था मेहता, कु. दीपान्विता प्रियंका, कु. प्रेरणा महापात्रा, सुश्री निधि जसवाल, कु. अर्चना पाठक दवे, वत्सल जोशी, सुश्री विशाखा, अरविंद कुमार शर्मा पक्षकारों की तरफ से उपस्थित अधिवक्तागण।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के द्वारा निर्णय घोषित किया गया।

1. यह आदेश राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से उत्पन्न सिविल अपील संख्या 3116/2020 और परियोजना प्रस्तावक द्वारा दायर सिविल अपील संख्या 3576/2020, दोनों में अधिकरण के द्वारा पारित एक ही आदेश दिनांक 12.02.2020 से उद्भूत हुए हैं, का निस्तारण करेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक ने स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड क्वाईल्स की स्थापना की सहमति (सी.टी.ई.) के लिए 20.01.2018 को आवेदन किया, जिसकी अनुमति गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई थी। इकाई के निर्माण के बाद, परियोजना प्रस्तावक को 06.02.2020 को इकाई को प्रचालित करने की अनुमति दी गई। यह देखा गया कि परियोजना प्रस्तावक ने आधारभूत संरचना के विकास के लिए 1100 करोड़ रूपये का निवेश किया और वित्तीय वर्ष 2020-21 तक लगभग 743 करोड़ का कारोबार हुआ था और 286.17 करोड़ रूपये माल एवं सेवा कर के रूप में भुगतान किया गया। आवेदक ने देश के लिए विदेशी विनिमय 15.52 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई भी की।

3. 20.07.2019 को अधिकरण के समक्ष एक आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि परियोजना प्रस्तावक ने पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के उल्लंघन में इकाई स्थापित की है जैसा कि ऐसा संयंत्र श्रेणी 3 (ए) यानि द्वितीयक धातुकर्म उद्योग के अंतर्गत आएगा जिसके लिए पूर्व पर्यावरण अनुमति आवश्यक है। ई.आई.ए. अधिसूचना से प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है :

3(ए)	धातुकर्म उद्योग (लौह एवं अलौह)	क) प्राथमिक धातुकर्म उद्योग सभी	स्पंज लौह विनिर्माण <200 टीपीडी	स्पंज लौह विनिर्माण में लागू सामान्य शर्तें,

		परियोजनाएं ख) स्पंज लौह विनिर्माण ≥200टीपीडी ग) द्वितीयक धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग सभी विषाक्त और भारी धातु उत्पादक इकाईयां ≥20000टन/वर्ष	द्वितीयक धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग i) सभी विषाक्त और भारी धातु उत्पादक इकाइयां <20,000 टन/वर्ष ii) अन्य सभी गैर विषाक्त द्वितीयक धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग >5000टन/वर्ष	नोट: (i) एच.एस.एम. नियमों के तहत आने वाली पुनश्चक्रण औद्योगिक इकाइयों को छूट दी गई है। (ii) द्वितीयक धातुकर्म प्रसंस्करण औद्योगिक इकाइयों के मामले में केवल वे परियोजनाएं जिनमें भट्टियों जैसे तापीय और विद्युत चाप भट्टियां, जलमग्न चाप भट्टियां, क्यूपोला और क्रूसिबल भट्टियां जिनकी क्षमता 3000 टन प्रतिवर्ष से अधिक है, का संचालन शामिल है, को पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता है।
				(iii)बिजली संयंत्रों के अलावा अन्य संयंत्र/इकाइयां जो नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (गैर-हानिकारक) पर

				आधारित हैं, छूट दी गई (अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 1(डी) के सामने दी गई है)।

4. अधिकरण ने 28.07.2019 को एक संयुक्त समिति का गठन किया। समिति ने निष्कर्ष दिया कि अधिसूचना की प्रयोज्यता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओई.एफ. एंड सी.सी.) द्वारा निर्धारित की जाएगी। मंत्रालय ने 21.11.2019 को एक शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अधिकरण ने प्रथम दृष्टया विचार किया कि उद्योग को पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता है और इस प्रकार परियोजना की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई क्योंकि मंत्रालय ने अतिरिक्त प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए समय मांगा था। बाद में मंत्रालय की ओर से शपथपत्र दाखिल किया गया कि इस मुद्दे पर विशेषज्ञों का एक समूह नियुक्त किया गया है। उक्त आख्या के बाद परियोजना प्रस्तावक ने 21.11.2019 को अधिकरण द्वारा पारित आदेश में संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया और इसके पश्चात 16.01.2020 को रोक हटा दी गई।

5. विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने 23-24.12.2019 को हुई अपनी बैठक में निष्कर्ष निकाला कि जहां सी.टी.ई./सी.टी.ओ. के बाद उद्योग स्थापित किया गया है वहां एक वर्ष की छूट अवधि दी जा सकती है। मंत्रालय ने उद्योग के लिए एक वर्ष की छूट अवधि की सिफारिश करते हुए ई.ए.सी. की सिफारिश संख्या 3(3) को स्वीकार करते हुए एक शपथपत्र दाखिल किया। सिफारिश का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"1. सी.एस.पी.एल. की परियोजना गतिविधि ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 की अनुसूची 3(ए) धातुकर्म उद्योग (लौह और अलौह) की श्रेणी बी के अंतर्गत आती है।

2. समिति ने यह भी कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी अलग-अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। माननीय एन.जी.टी. द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या और भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय तथा कच्छ के लिए जी.पी.सी.बी. के द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या ने भी अंतिम व्याख्या एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी. (मंत्रालय) पर छोड़ दी है। यह भी देखा गया है कि हस्तगत इकाई ने जी.पी.सी.बी. से सी.टी.ई. प्राप्त किया है जो एक वैधानिक अधिकरण है। देश में इसी तरह के अन्य मामले भी हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि कुछ मुद्दों को लेकर मामले में और स्पष्टीकरण की गुंजाइश और आवश्यकता है ताकि भविष्य में कोई व्यक्तिपरक व्याख्या न हो। ये मुद्दे हैं (1) ई.आई.ए. प्रक्रिया के उद्देश्य के लिए द्वितीयक धातुकर्म इकाईयों की परिभाषा, (2) एम.ओई.एफ. एंड सी.सी. (मंत्रालय) अधिसूचना 2006 की प्रयोज्यता के तहत भिट्टयों के प्रकारों के बारे में स्पष्टीकरण और (3) पर्यावरण अनुमति के संदर्भ में री-रोलिंग बनाम ओल्ड रोलिंग को स्पष्ट करना। इसलिए हस्तगत इकाई और भविष्य के प्रस्तावों के लिए ई.सी. प्रक्रिया को और

सुचारू बनाने के लिए एम.ओई.एफ. एंड सी.सी. (मंत्रालय) आगे स्पष्टीकरण जारी करने पर विचार कर सकता है।

3. हस्तगत और इसी तरह के अन्य मामलों को संबोधित करने के लिए जहां ऐसी री-रोलिंग/ओल्ड रोलिंग इकाईयां संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से सी.टी.ई./सी.टी.ओ. के साथ स्थापित या प्रचालित हो रहीं है, मंत्रालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को ऐसे सभी मामलों की सूची प्राप्त करने और आगे त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश देने पर विचार कर सकता है ताकि वे ई.सी. के लिए आवेदन करें और ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के दायरे में आ सकें। चूंकि ये इकाईयां एक सांविधिक अधिकरण यानि संबंधित पुराने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से प्राप्त सी.टी.ई. /सी.टी.ओ. के तहत स्थापित या प्रचालित होते हैं, इसलिए इस अनुशंसित परिवर्तन के लिए एक वर्ष की अवधि की अनुमति दी जा सकती है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि इकाईयां स्वीकृत अवधि के लिए परिचालन में रहेंगीं और बंदी, बेरोजगारी और संबंधित सामाजिक मुद्दे/अशांति से बचा जा सकेगा। एक वर्ष की इस अवधि के दौरान उन्हें सी.टी.ई/ सी.टी.ओ. के तहत लगाई गई सभी शर्तों का पालन करना होगा।

6. उक्त अनुशंसा के आधार पर ही अधिकरण ने 12.02.2020 को आदेश पारित किया कि सी.टी.ई./ सी.टी.ओ. के बल पर प्रचालित होने वाली ऐसी मिलों की बड़ी संख्या को देखते हुए, ऐसी इकाईयों को इस उद्देश्य के लिए काम करने के लिए कम से कम एक वर्ष की अवधि देकर ई.सी. व्यवस्था के अंतर्गत आने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

7. आवेदक ने अधिकरण द्वारा दिए गए समय को इस आधार पर चुनौती दी कि अधिकरण के पास पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने के लिए अवधि देने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि ई.आई.ए. अधिसूचना पूर्व पर्यावरण अनुमति को अनिवार्य करती है। चूंकि उद्योग की स्थापना से पहले ऐसी सहमति नहीं ली गई थी इसलिए एक वर्ष की समय सीमा विधि के शासनादेश के विरूद्ध है। आगे यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 (एन.जी.टी. अधिनियम) की धारा 21 के तहत पर्यावरण अनुमति को निरस्त कर देने का क्षेत्राधिकार अधिकरण को है परंतु पर्यावरण अनुमति के लिए समय देने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

8. पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता के अधिकरण के निष्कर्ष से व्यथित होकर परियोजना प्रस्तावक ने चुनौती दी। इस न्यायालय के समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान, परियोजना प्रस्तावक को गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 25.06.2021 को समापन नोटिस दिया गया था और उक्त नोटिस के संदर्भ में इकाई को बंद कर दिया गया था। उक्त समापन नोटिस को 2021 की आई.ए. संख्या 81563 के माध्यम से चुनौती दी गई।

9. जबकि अपीलें इस न्यायालय के समक्ष लंबित थीं, भारत सरकार ने 20.07.2022 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (पर्यावरण अधिनियम) की धारा 3 के संदर्भ में एक

अधिसूचना प्रकाशित की जिसके तहत एक वर्ष के भीतर संदर्भ की शर्तों को लागू करने के लिए पर्यावरणीय अनुमति दी जाएगी। अधिसूचना इस प्रकार है:

"पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई 2022

एस.ओ. 3250 (ई).- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मूल आवेदन संख्या 55/2019 (डब्ल्यू.जेड.), (गजुभा जेसर जडेजा बनाम भारत संघ और अन्य) में अपने तारीख 12 फरवरी, 2020 के आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ यह प्रेक्षित किया था कि कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील विनिर्माण उद्योगों के लिए पूर्व पर्यावरण अनुमति अपेक्षित होती है लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्थापना की सहमति (सी.टी.ई.) और प्रचालन की सहमति (सी.टी.ओ.) के आधार पर वृहद संख्या में तहसील में प्रचालित की जा रही थी, माननीय अधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि ऐसी इकाईयों को पर्यावरण अनुमति व्यवस्था के भीतर आने के प्रयोजन के लिए कार्य करने हेतु कम से कम एक वर्ष प्रदान करके अवसर प्रदान किया जाना चाहिए;

और केंद्रीय सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण कारित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पूर्वोक्त उक्त आदेश के अनुरूप विचार विमर्श करके विनिश्चय किया है, जिससे ऐसी री-रोलिंग या कोल्ड रोलिंग इकाईयों को पूर्व पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सके:

और केंद्रीय सरकार का यह विचार है कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), में अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना की अनुसूची के धातुकर्म उद्योग (लौह और अलौह) से संबंधित मद 3 (क) के अनुसार द्वितीय धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग के परिक्षेत्र में आने वाले स्टील री-रोलिंग प्रचालन और अपेक्षित पर्यावरण अनुमति, उसकी अनुसूची (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) जिसमें प्रवर्ग ख के अधीन आने वाली 5000 टन/वर्ष (टी.पी.ए.) से अधिक क्षमता वाली सभी गैरविषैली द्वितीय धातुकर्म प्रसंस्करण इकाईयां हैं, समाविष्ट परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरण अनुमति की अपेक्षा को आज्ञापक बनाती है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि सभी स्टेंड एलोन री-रोलिंग इकाईयां कोल्ड रोलिंग इकाईयां जो इस अधिसूचना की तारीख को यथा स्थिति, संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्थापन की विधिमान्य सहमति (सी.टी.ई.) और प्रचालन की विविमान्य सहमति (सी.टी.ओ.) के साथ इस अधिसूचना की तारीख को विधिमान्य है और प्रचालन में है, पर्यावरण अनुमति के अनुसरण में निर्देश निबंधन (टी.ओ.आर.) अनुदत्त करने के लिए आनलाईन आवेदन करेगी और उक्त इकाईयों को उक्त

अधिसूचना की मद 3 (क) के अनुसार मानक निर्देश निबंधन अनुदत्त किए जाएंगे और उन्हें लोक परामर्श की अपेक्षा से छूट प्राप्त होगी:

परंतु टी.ओ.आर. अनुदत्त करने के लिए आवेदन, इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.आई.ए.-जे-11013/8/2019-आई.ए. II (I)]

डॉ. सुधीर कुमार वाजपेयी, संयुक्त सचिव"

10. इस पृष्ठभूमि के साथ पक्षकारों ने पर्यावरणीय अनुमति के बिना एक इकाई को प्रचालित करने का आदेश पारित करने और समापन करने के निर्णय के लिए अधिकरण के क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर तर्क प्रस्तुत किए।

11. यह उल्लेखनीय है कि देश में 1689 ऐसी री-रोलिंग/कोल्ड री-रोलिंग स्टील संयंत्र है, जिनमें से 403 संयंत्र गुजरात राज्य में ही है। सभी इकाइयां पूर्व पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किए बिना स्थापित की गई हैं क्योंकि यह अस्पष्टता थी कि क्या ऐसी रोलिंग स्टील मिलों को पूर्व पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।

12. आवेदक की विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री अनिता शेनॉय ने, इस न्यायालय के निर्णयों कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ और अन्य, (2017) 9 एससीसी 499, हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम भारत संघ (2019) 15 एससीसी 401 और एलेम्बिक फार्मास्यूटिकलस लिमिटेड बनाम रोहित प्रजापति व अन्य (2020) 17 एससीसी 157, पर मामला आधारित करते हुए तर्क किया कि पूर्व पर्यावरणीय अनुमति अनिवार्य है। चूंकि इकाई अधिसूचना का उल्लंघन करके स्थापित की गई है, इसलिए अधिकरण इकाई को प्रचालित करने की अनुमति नहीं दे सकता।

13. दूसरी ओर, परियोजना प्रस्तावक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने तर्क किया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनिमय की धारा 21 के संदर्भ में, अधिकरण सतत विकास के लिए आदेश पारित करने में सक्षम है। यह तर्क दिया गया है कि कम से कम एक वर्ष का समय देने का अधिकरण का आदेश विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ई.ए.सी.) की सिफारिश पर आधारित है। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ई.ए.सी.) ने सिफारिश की कि री-रोलिंग इकाइयां संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से सी.टी.ई./सी.टी.ओ. के साथ स्थापित या प्रचालित की जाती है, इसलिए, पर्यावरण अनुमति व्यवस्था में इस अनुशंसित रूपांतरण के लिए एक वर्ष की अवधि की अनुमति दी जा सकती है।

14. श्री दीवान ने मंत्रालय की ओर से दायर एक शपथपत्र का भी हवाला दिया, जिसमें राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर के निदेशक डॉ. इंद्रनील चट्टोराज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या का उल्लेख किया गया था। समिति ने कहा कि गैर विषाक्त द्वितीयक धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग के लिए पर्यावरणीय अनुमति की प्रयोज्यता

के संबंध में पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना में अस्पष्टता है। इसलिए, स्पष्टता लाने के लिए, मंत्रालय पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना की अनुसूची 3 (ए) में संशोधन कर सकता है। शपथपत्र से संबंधित उद्धरण इस प्रकार है:

"7. यह कि समिति ने कई बैठकें आयोजित करने के पश्चात 17.01.2022 को अपनी आख्या प्रस्तुत की। समिति ने, अन्य बातों के अलावा, अनुशंसा की है;

i. "गैर विषाक्त द्वितीयक धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग के लिए पर्यावरण अनुमति की प्रयोज्यता के संबंध में पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना, 2006 में अस्पष्टता है।

ii. स्टील री-रोलिंग मिल्स [हॉट रोलिंग (या) कोल्ड रोलिंग] द्वितीयक धातुकर्म प्रक्रियाओं में से एक है और पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) 2006 के प्रावधानों को आकर्षित करती है।

iii. देशभर में लगभग 1689 स्वचलित स्टील री-रोलिंग मिलें अपेक्षित पर्यावरण अनुमति के बिना चल रही हैं और ऐसी इकाइयों को पर्याप्त समय सीमा प्रदान करके पर्यावरण अनुमति व्यवस्था के अंतर्गत लाया जा सकता है।

iv. पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना, 2006 की अनुसूची 3 (ए) में संशोधन के लिए अध्याय 6 के तहत निर्धारित प्राथमिक और द्वितीयक धातुकर्म उद्योग में विभिन्न द्वितीयक प्रक्रियाओं की पर्यावरण अनुमति में स्पष्टता लाने के लिए संशोधित सीमा-रेखा पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जा सकता है"

उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एच.एल.ई.सी.) की आख्या की एक प्रति अनुलग्नक आर/2 के रूप में संलग्न की गई है।

8. यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि मंत्रालय, समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 में उपयुक्त संशोधन लाने की प्रक्रिया में है, ताकि गैर विषाक्त द्वितीयक धातु प्रसंस्करण उद्योग के लिए पर्यावरण अनुमति के संबंध में अस्पष्टता को दूर किया जा सकते।

15. ऐसी आख्या के अनुसरण में, संशोधन 20.07.2022 को प्रकाशित किया गया था।

16. श्री दीवान इस न्यायालय द्वारा वृहत्तर मुंबई नगर निगम बनाम अंकिता सिन्हा व अन्य 2021 एस.सी.सी. ऑनलाईन सुप्रीम कोर्ट 897 में पारित एक आदेश भी संदर्भित करते हैं, जिसमें इस सवाल की जांच की गई थी कि क्या अधिकरण के पास एन.जी.टी. अधिनियम के तहत कार्यवाही पर विचार करने के लिए स्वत: संज्ञान क्षेत्राधिकार है। अधिकरण के क्षेत्राधिकार सीमा पर भी विचार किया गया।

17. श्री दीवान ने इस न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश पाहवा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड व अन्य विरुद्ध दस्तक एन.जी.ओ. व अन्य 2022 एस.सी.सी. ऑनलाईन सुप्रीम कोर्ट 362 को भी संदर्भित किया, जिसमें अधिकरण द्वारा पारित आदेश, जिसमें निर्धारित गया था कि जिन विनिर्माण इकाइयों के पास पूर्व पर्यावरणीय अनुमति नहीं है, उन्हें प्रचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, को निरस्त कर दिया गया था।

18. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अधिकरण द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई है। अधिकरण का आदेश ई.ए.सी. की सिफारिश पर आधारित है जिसमें सुझाव दिया गया है कि उद्योग को ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 का पालन करने के लिए एक साल का समय दिया जाना चाहिए। मंत्रालय के साथ-साथ परियोजना प्रस्तावक का रूख यह है कि ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 में अस्पष्टता थी। सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. व्यवस्था के आधार पर देश में 1689 इकाइयां स्थापित की गई है यह एक या दो इकाइयों के संबंध में अस्पष्ट व्याख्या का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश में एक ही व्याख्या थी कि री-रोलिंग स्टील प्लांट को पूर्व पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है, अधिसूचना में संशोधन होने पर 20.07.2022 को ही अस्पष्टता दूर हो गई। चूंकि पहले अस्पष्टता थी, अधिकरण ने परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता का पालन करने के लिए समय दिया था।

19. अधिकरण का ऐसा निर्देश, वास्तव में, एन.जी.टी. अधिनियम की धारा 21 के तहत अधिकरण को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से उत्पन्न होता है। **अंकिता सिन्हा,** 2021 एस.सी.सी. ऑनलाईन सु.को. 897 के मामले में इस न्यायालय ने अधिकरण की स्वतः संज्ञान शक्तियों पर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया:

"98. एन.जी.टी. अधिनियम, जब समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो एन.जी.टी. को महज न्यायिक भूमिका से परे बढ़ने की काफी छूट मिलती है। पर्यावरणीय अत्यावश्यकताओं का निवारण करने की क्षमता वाली एक बहुकार्यात्मक संस्था बनाने की संसद की मंशा स्पष्ट रूप से समझ में आती है। तदनुसार, पर्यावरणीय न्याय और पर्यावरणीय समानता के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से एन.जी.टी. के ढांचे के निर्णायक धागे के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। एन.जी.टी. को एक अद्वितीय संस्था के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि सामान्य रूप में, और 2010 के अधिनियम में उल्लिखित पर्यावरण के क्षेत्र में लोक हित को बढ़ावा देने के लिए इसकी विशिष्ट और अनन्य भूमिका को आवश्यक रूप से इस न्यायालय की कानूनी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

xxx xxx
xxx

102. उन परिस्थितियों में जहां प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव गंभीर हो सकता है, लेकिन प्रभावित समुदाय मशीनरी को प्रभावी ढंग से कार्य में लाने में असमर्थ है, ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए विशेष रूप से बनाए गए मंच से निश्चित रूप से समीचीनता के साथ और अपने हिसाब से आगे बढ़ने की उम्मीद की जानी चाहिए। असंगत क्षति की संभावना अधिकारियों पर अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक उच्च दायित्व अधिरोपित करती है जो इस तरह की प्रतिबंधात्मक पहुंच के कारण बाधित हो सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि "जलवायु परिवर्तन के वैश्विक प्रभाव अल्पसंख्यक और कम आय वाले समुदायों पर असमान रूप से पड़ेंगे"।[*] इस प्रकार, आवेदक के कहने पर केवल निर्णय से परे एक सकारात्मक भूमिका, पर्यावरणीय न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है, जैसा कि कानून में स्वयं एन.जी.टी. की आवश्यकता है। हम ऐसे तर्क को मान्य नहीं कर सकते जो निष्क्रियता न होने पर भी एक दर्शक की भूमिका को सही ठहराने के लिए अनिश्चितता को बढ़ाता है, और निश्चित रूप से इसका परिणाम अन्याय होगा।

103. एन.जी.टी. अपनी विशिष्ट भूमिका के साथ, शायद ही मूकदर्शक बने रहने का जोखिम उठा सकती है जब कोई उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता है। अधिकरण ने स्वयं पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए सामूहिक रणनीति की आवश्यकता को सही ढंग से पहचाना है। एक उभरते प्राकृतिक न्याय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील के सिद्धांतों के स्थापित सुरक्षा द्वार के भीतर एक समाज केंद्रित दृष्टिकोण को काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जब तत्काल और प्रभावी प्रतिक्रिया की आवश्यकता वाली आपात स्थितियों का सामना करना पड़ता है, तब निष्क्रिय-प्राय एन.जी.टी., अधिकरण को उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करने से कमजोर कर देगा और इसे न्याय के हित में खारिज किया जाना चाहिए।

20. **पाहवा प्लास्टिक प्रा. लिमिटेड**, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाईन सु.को. 362, में संबंधित वैधानिक अधिकरण से सी.टी.ई. और सी.टी.ओ. के अनुसार एक प्रतिष्ठान स्थापित किया गया था। प्रतिष्ठान ने कार्योत्तर पर्यावरणीय अनुमति के लिए आवेदन किया। इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने माना कि आमतौर पर कार्योत्तर पर्यावरणीय अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन प्रचालन को रोकने के परिणामों की परवाह किए बिना, इसे रूढिवादी दृढता के साथ अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इकाइयों को बंद करने का अधिकरण का आदेश गलत पाया गया। अभाव में प्रतिष्ठान बंद करने का आदेश इस न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय अनुमति के साथ-साथ अन्य बातों के लिए इस कारण से निरस्त कर दिया गया था कि क्या अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली और संबंधित वैधानिक अधिकारियों की अपेक्षित अनुमति के अनुसरण में स्थापित सैकड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली इकाई को तकनीकी अनियमितता के

कारण या पूर्व पर्यावरण अनुमति के कारण बंद कर दिया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

"54. अपीलार्थियों की विनिर्माण इकाइयां लगभग 8,000 कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं और उनका वार्षिक कारोबार बडा है। देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले और आजीविका प्रदान करने वाले किसी प्रतिष्ठान को केवल पूर्व पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त नहीं करने की तकनीकी अनियमितता के आधार पर बंद नहीं किया जाना चाहिए, भले ही वह इकाई वास्तव में प्रदूषण फैलाती हो या नहीं।

xxx xxx xxx

56. जैसा कि इस न्यायालय ने **इलेक्ट्रोस्टील स्टीलस लिमिटेड** (**पूर्वोक्त**) के मामले में प्रतिपादित किया कि कार्योत्तर पर्यावरणीय अनुमति आमतौर पर नहीं दी जानी चाहिए, और निश्चित रूप से पूछने के लिए नहीं। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचना के संदर्भ में कार्योत्तर अनुमति और/या अनुमोदन और/या तकनीकी अनयिमितताओं को हटाने, खानों के प्रचालन को रोकने, कारखानों और संयंत्रों को चलाने के परिणामों से बेपरवाह होकर, रूढिवादी कठोरता के साथ अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

57. 1986 का अधिनिमय कार्योत्तर पर्यावरणीय अनुमति पर रोक नहीं लगाता है। कानून के अनुसार जहां कार्योत्तर पर्यावरण अनुमति का अनुदान, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और/या लागू आदेशों का कड़ाई से अनुपालन, करते हुए दिया गया हो वहां उचित मामलों में, जहां परियोजनाएं पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन में हैं, या किया जा सकता है, हमारे विचार में अस्वीकार्य नहीं है। यदि ऐसी परियोजनाएं पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन करती हैं, तो न्यायालय अर्थव्यवस्था या परियोजना में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों और अन्य लोगों और परियोजना पर निर्भर अन्य लोगों की आजीविका की रक्षा करने की आवश्यकता से अनभिज्ञ नहीं हो सकता है।

xxx xxx xxx

60. भले ही इस न्यायालय ने **एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (पूर्वोक्त)** में कार्योत्तर अनुमति को अस्वीकार कर दिया, लेकिन इस न्यायालय ने संबंधित इकाइयों को बंद करने का निर्देश नहीं दिया, बल्कि औद्योगिक इकाइयों से होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के उपायों की खोज की। इस न्यायायलय ने कहा कि:-

"हालांकि, चूंकि विस्तार किया जा चुका है और उद्योग काम कर रहा है, इसलिए हम उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पूरे संयंत्र को बंद करने का आदेश देना उचित नहीं समझते हैं।'

xxx xxx xxx

63. कार्योत्तर पर्यावरणीय अनुमति नियमित रूप से नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि सभी प्रासंगिक पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए असाधारण परिस्थतियों में दी जानी चाहिए। जहां कार्योत्तर अनुमोदन से इनकार के दुष्परिणाम पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन द्वारा प्रचालन के नियमितीकरण के परिणामों से अधिक हैं, और संबंधित प्रतिष्ठान अन्यथा अपेक्षित प्रदूषण मानदंडों के अनुरूप है, तो कार्योत्तर अनुमोदन लागू नियमों, विनियमों और/या अधिसूचनाओं के कड़ाई से अनुपालन में कानून के अनुसार दिया जाना चाहिए। विपथगामी उद्योग को 'प्रदूषक भुगतान' के सिद्धांत पर भारी जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है और पर्यावरण की बहाली की लागत उससे वसूल की जा सकती है।

64. इस मामले में प्रश्न यह है कि क्या एक इकाई देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है और सैकड़ों लोगों को आजीविका प्रदान कर रही है, जिसे संबंधित वैधानिक अधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन के अनुसार स्थापित किया गया है, और कार्योत्तर पर्यावरण अनुमति के लिए आवेदन किया है, पर्यावरण अनुमति जारी होने तक पूर्व पर्यावरण अनुमति न लेने की तकनीकी अनियमितता के कारण इसे बंद कर दिया जाना चाहिए, भले ही इससे प्रदूषण न हो और/या आवश्यक मानदंडों का अनुपालन करते हुए पाया जाए। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए, खासकर तब जब एच.एस.पी.सी.बी. स्वयं इस गलतफ़हमी में था कि संबंधित इकाइयों के लिए किसी पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता नहीं है। एच.एस.पी.सी.बी. ने एन.जी.टी के समक्ष अपने जवाबी शपथपत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि एप्कोलाइट यमुनानगर और पाहवा यमुनानगर इकाइयों जैसी इकाइयों को नियमित करने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि उन इकाइयों को आवश्यक अनुमति संबंधित अधिकारियों ने इस गलत धारणा के कारण दे दी कि उन्हें पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

xxx xxx xxx

''66. कार्योत्तर पर्यावरण अनुमति आमतौर पर नहीं दी जानी चाहिए, और निश्चित रूप से पूछने के लिए नहीं। साथ ही प्रचालन रोकने के परिणामों की परवाह किए बिना, कार्योत्तर अनुमति और/या स्वीकृतियों को रूढिवादी कठोरता के साथ अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय का मानना है कि एन.जी.टी. ने यह निर्देश देकर गलती की है कि वैधानिक आदेश के अनुपालन तक इकाइयों को काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।''

21. सुश्री शेनॉय द्वारा संदर्भित **कॉमन कॉज़ (2017)** 9 एस.सी.सी. 499 में निर्णय उनके तर्कों का समर्थन करने में कोई मदद नहीं करता है क्योंकि सवाल यह था कि क्या खनन के लिए पट्टे वाले क्षेत्र के भीतर का खनन अवैध कहा जा सकता है। यह माना गया कि अवैध खनन में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर भी अनुमेय सीमा से अधिक खनिज का निष्कर्षण शामिल है।

22. **हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर, (2019) 15** एस.सी.सी. 401 मामले में, इस न्यायालय ने माना कि वर्ष 2006 की ई.आई.ए. अधिसूचना पर्यावरण की जटिलताओं के बारे में बढ़ती जागरूकता और हस्तगत तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी निरंतर संपोषण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक गहन जांच को दर्शाती है। यह सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसे इस प्रकार निर्णीत किया गया:

"56. 2006 की अधिसूचना इस धारणा को मूर्त रूप देती है कि राष्ट्र के विकास कार्यक्रम को पर्यावरण की सुरक्षा और इसकी जटिलताओं के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुपालन में चलाया जाना चाहिए। यह विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन का काम करता है: दोनों के बीच कोई समझौता नहीं है। पर्यावरण की सुरक्षा विकास का एक अनिवार्य पहलू है। इसे किसी तकनीकी सूत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता। अधिसूचना पर्यावरण की जटिलताओं के बारे में बढ़ती जागरूकता और हस्तगत तथा भविष्य के लिए इसकी निरंतर संपोषण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक गहन जांच को दर्शाती है। आने वाली पीढ़ियां, इस सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। पर्यावरण् अनुमति के अनुदान के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करते हुए, 2006 की अधिसूचना पर्यावरण और विकास के बीच कथित अंतर को पाटने का प्रयास करती है।

23. **एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड** (2020), 17 एस.सी.सी. 157 में दिनांक 14.05.2002 के परिपत्र की वैधता प्रश्नगत थी। इस न्यायालय ने पाया कि ऐसा परिपत्र 1994 की ई.आई.ए. अधिसूचना के विपरीत है। मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जो औद्योगिक इकाइयां पर्यावरण अनुमति प्राप्त किए बिना उत्पादन में चली गई थीं, उन्हें कार्योत्तर पर्यावरण अनुमति के लिए आवेदन करना होगा और प्राप्त करना होगा। उक्त निर्णय की हस्तगत मामले के तथ्यों पर कोई प्रयोज्यता नहीं है, जहां मंत्रालय की स्वयं राय है कि 2006 की ई.आई.ए. अधिसूचना में अस्पष्टता थी। ऐसी अस्पष्टता केवल तभी दूर की गई है जब ई.आई.ए. अधिसूचना को बाद में 20.07.2022 को संशोधित किया गया था। इसलिए सुश्री शेनॉय द्वारा संदर्भित निर्णय हस्तगत मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

24. हम यह बताने के लिए बाध्य हैं कि देश की 1689 इकाइयों में से, आवेदक ने परियोजना प्रस्तावक को चुना है क्योंकि यह परियोजना प्रस्तावक को लक्षित करने के लिए एक प्रेरित याचिका प्रतीत होती है, हालांकि देश में कोल्ड स्टील रोलिंग मिलें एक ही व्यवस्था के तहत काम कर रही थीं। निर्यातोन्मुख इकाई के बंद होने से न केवल परियोजना प्रस्तावक बल्कि देश को भी भारी नुकसान हुआ है। यह देखा जा सकता है कि गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 25.06.2021 को समापन नोटिस देने के लिए परियोजना प्रस्तावक को चुना है। तब से यह इकाई बंद पड़ी है। ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 20.07.2022 में संशोधन के मद्देनजर इकाई के पास अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति लेने का समय है। इसलिए इकाई को बंद करने का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता।

25. उक्त तथ्य के दृष्टिगत 2020 की सिविल अपील क्रमांक 3116 को निरस्त किया जाता है। गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 25.06.2021 को जारी किए गए समापन नोटिस को चुनौती देने वाली 2020 की सिविल अपील संख्या 3576 में 2021 की आई.ए. नंबर 81563 को अनुमति दी गई है और समापन नोटिस को निरस्त कर दिया गया है। 2020 की सिविल अपील संख्या 3576 का उपरोक्त शर्तों के साथ निस्तारण किया जाता है।

अपीलें निराकृत

अंकित ज्ञान और अनुराग भास्कर

(सहायता: बोधि रामटेके)

<u>अंतटिप्पण-</u>

*स्कॉट लॉ फ्रैंची, निरंतर वैश्विक विकास के एहतियाती सिद्धांत का सर्वेक्षण : एक उभरते पर्यावरण प्रबंधन उपकरण का विकास [32 बी.सी. एनवीटीएल. एएफएफ. एल. आरईवी. 679 (2005)

<u>विश्व दीपक तिवारी, सप्तम सिविल जज वरिष्ठ खंड, सतना म.प्र. द्वारा अनुवादित</u>